न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 14/2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्रीमती बंदन कंवर पत्नि रधुवीर सिह हाल निवासी हाल मुकाम मुकाम गली न. 5 सरस्वती कॉलोनी गली न. 5 मकान न. 52 बारा रोड कोटा

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड इटावा, जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 10/10/25

1— अपीलार्थी श्रीमती बंदन कंवर पत्नि रधुवीर सिह हाल निवासी हाल मुकाम मुकाम गली न. 5 सरस्वती कॉलोनी गली न. 5 मकान न. 52 बारा रोड कोटा मो0नं. 8000967752 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्धारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 9.07.25 लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी इटावा से खेत का रास्ता दिलवाये जाने से संबधित परिवाद माह जून में संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को संपर्क पोर्टल अपलोड शिकायज के निस्तारण के प्रपत्रों की प्रमाणित प्रति कर भेज दिया गया,जबकि अपीलार्थी का परिवाद उसके खेत मे जाने हेतु पडोसी खातेदार के बढी हुई जमीनो मे से रास्ता दिलवाये जाने सें संबधित था जिसका अधिकार उपखण्ड अधिकारी इटावा को था।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/2025/440 दिनांक 12. 09.2025, से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा अपने पत्रांक /आरटीआई/2025/1955 दिनाक 3.10.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र

क्रमांक 439 दिनांक 15.09.2025 भिजवाया गया,। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.09.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शारीरिक अक्षमता के कारण उपस्थित होने मे असमर्थता जाहिर करते हुए उपखण्ड अधिकारी इटावा से खेत पर जाने हेतु रास्ता दिलवाये जाने के आदेश पारित किये जाने निवेदन किया।

3.— पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी मे अंकित किया है कि अपीलार्थी को अपने खेत पर जाने के लिए रास्ता चाहने हेतु न्यायालय में धारा 251 ए के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली में अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय से चाही गई सूचना का भी अवलोकन किया गया। इस कार्यालय से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है। अपीलार्थी के संपर्क पोर्टल में दर्ज परिवाद पर कार्यवाही का विवरण संपर्क पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे अपीलार्थी स्वंय भी पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में खेत पर जाने के रास्ता दिलवाये के संबध में उपखण्ड अधिकारी इटावा को आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त अपील के निर्णय में दिया जाना न्यायोचित नही है। अपीलार्थी अपने खेत पर रास्ते चाहने बाबत् नियमानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे राजथान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रकरण दर्ज करवा कर राहत प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा को भिजवाई जावे।

(विरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा